राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
296 / 2024	19.07.2024	10.07.2025

उनवानः

1. लालाराम उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री बोदनराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

.......प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री हरप्रीत यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 107, 108, 311, 301, 302, 312, 313, 591, 592, 595, 44, 830, 831, 835, 175, 176, 179, 125, 121, 123, 124, 139, 45, 45/900, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56/938, 57, 832, 833, 834 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है तथा खसरा नम्बर 107, 108, 311, 301, 302, 312, 313,830, 831, 835,832, 833, 834, 591, 592, 595 मे मिन वादी का नाम ईश्वर पुत्र बोदन व खसरा नम्बर हाल 45, 45/900, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56/938, 57 मे मिन वादी का नाम लालराम पुत्र बोदन तथा खसरा नम्बर 44, 125, 121, 123, 124, 139 के राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी को सा0 देह अर्थात ग्राम तलवाना दर्ज किया हुआ है। तथा खसरा नम्बर 175, 176, 179 के राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी की जाति राजपूत व सा0 देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। जो इन्द्राज गलत एवं मिन वादी के सही नाम, जाति एवं निवास के विरूद्ध है। जबकि मिन वादी का सही नाम " लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0" है। यही नाम मिन वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड मे तथा ग्राम तलवाना मे स्थित अन्य खसरा नमबर 36,37,110,111,112 के खातेदारी कॉलम मे मिन वादी का नाम, जाति, गांव का नाम सही दर्ज है। लेकिन उपरौक्त खसरा नम्बरान मे मिन वादी का कहीं पर नाम ईश्वर पुत्र बोदन तो कही पर लालराम पुत्र बोदन तथा कहीं पर मिन वादी के गांव का नाम सा0 देह खातेदार तथा कहीं पर मिन वादी की जाति राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया गया। जिससे मिन वादी के हक हकूक प्रभावित होते है जिनको मिन वादी दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा वादी के गलत नाम, जाति व गांव के नाम को दुरूस्त किया जाकर वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं अन्य आराजी मे अंकित मिन वादी के नाम के आधार पर मिन वादी के गलत नाम को दुरूस्त किया जाने की डिक्री फरमाई जाने की प्रार्थना की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई कि :–

1. आया दावा मे वर्णित खसरा नम्बर हाल 107, 108, 311, 301, 302, 312, 313,330, 830, 831, 835, 832, 833, 834 वाके ग्राम तलवाना मे वादी का नाम ईश्वर पुत्र बोदन तथा खसरा नम्बर 45, 45/900, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56/938, 57, वाके ग्राम तलाना तह0 नीमराना मे वादी का नाम लालाराम पुत्र बोदन तथा खसरा नम्बर 44, 125, 121, 123, 124, 139 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना मे वादी का पता सा0 देह खातेदार अर्थात निवासी ग्राम तलवाना दर्ज किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 591, 592, 595 के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम ईश्वर पुत्र बोदन एवं पता सा. देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। जो राजस्व रिकार्ड गलत है ?

........वादी

2. आया वादी का सही नाम लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 है। इसलिए उक्त भूमि मे भी वादी अपने गलत नाम का दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

.....वादी

3. आया वादी का वाद डिक्री किया जाने मे कोई राज्य अहित नही होता है?

.....प्रतिवादी

4. न्यायालय ।

न्यायाधीश

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी लालाराम पुत्र बोदनराम, पी.ड.–2 ओमप्रकाश पुत्र बोदनराम तथा पी.ड.–3 महीपाल पुत्र बोदनराम के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे हाल जमाबन्दी एवं आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि की फौटो प्रति पेश की गई है। वादीगण ओर साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है इसलिए पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी ने अपने जबाब दावा के समर्थन मे कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। इसलिए पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पूर्णतया साबित होने के कथन करते हुऐ वादीगण का वाद डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई ।

तनकी सं0 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। दोनो ही तनकी आपस मे मिलती झुलती होने के कारण दोनो तनकीयात का निस्तारण एक साथ किया जाता है। उक्त तनकीयात को सिद्ध करने के लिए वादी ने अपने दावा के समर्थन मे आधार कार्ड ,बैंक पास बुक तथा ग्राम तलवाना मे स्थित खसरा नम्बर 36,37,110, 111,112 मे वादी का नाम लालाराम पुत्र बोदनराम दर्ज है, पेश किये गये है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं अन्य खसरा नम्बरान की जमाबन्दी का अवलोकन किया गया, जिनमे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

वादी का नाम लालाराम पुत्र बोदनराम दर्ज है। जिसकी पुष्टि वादी द्वारा पेश गवाह महीपाल पुत्र बोदनराम व औमप्रकाश पुत्र बोदनराम जोकि वादी के सगे भाई है। जिन्होने अपने बयान शपथ पत्र मे यह स्वीकार किया है कि दावा मे वर्णित खसरा नंम्बरान मे ईश्वर पुत्र बोदन, लालराम पुत्र बोदन अंकित किये हुऐ है जो हमारे भाई लालाराम पुत्र बोदनराम के ही गलत नाम दर्ज किये हुऐ है। ईश्वर पुत्र बोदन व लालराम पुत्र बोदन नाम के हमारे कोई भाई नही है बल्कि हमारे भाई लालाराम पुत्र बोदन कें ही गलत नाम दर्ज किये हुये है तथा कुछ भूमि मे हमारे भाई की जाति व गांव का नाम भी गलत दर्ज है। जबकि लालराम की जाति अहीर और गांव कायसा है। ग्राम तलवाना मे स्थित खसरा नम्बर 36,37,110, 111,112 मे वादी का नाम लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 कायसा दर्ज है तथा वादी के आधार कार्ड वोटर पहचान पत्र बैंक पास बुक मे भी वादी का नाम लालाराम पुत्र बोदनराम दर्ज है तथा वादी के सगे भाईयो ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये है जिसमे भी वादी लालाराम पुत्र बोदनराम का गलत नाम ईश्वर पुत्र बोदन व लालराम पुत्र बोदन दर्ज किये जाने के कथन किये गये है तथा तहसीलदार ने भी अपने जबाब मे वादी के गलत नाम को दुरूस्त करने मे कोई राज्य अहित नही होना अंकित किया गया है। इस प्रकार तनकी सं0 1 व 2 को वादी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने मे सफल होने के कारण उक्त तनकी सं0 1 व 2 का निस्तारण वादी के पक्ष मे किया जाता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद साबित होने के कारण न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 107, 108, 311, 301, 302, 312, 313,830, 831, 835,832, 833, 834, 591, 592, 595 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर ''ईश्वर पुत्र बोदन'' व खसरा नम्बर हाल 45, 45/900, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56/938, 57 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर ''लालराम पुत्र बोदन'' दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर '' लालाराम पुत्र बोदनराम '' दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खसरा नम्बर 44, 125, 121, 123, 124, 139 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर '' लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार '' दर्ज किया हुआ है, उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर '' लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 कायसा खातेदार '' दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खातेदारी हिस्सा बदस्तूर रखा जावे तथा खसरा नम्बर 175, 176, 179 के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर '' लालाराम पुत्र बोदनराम जाति राजपूत सा0 देह खातेदार'' दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर '' लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 कायसा खातेदार '' दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा खातेदारी हिस्सा बदस्तूर रखा जावे एवं इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दांखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
296/2024	19.07.2024	10.07.2025

उनवानः

1. लालाराम उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री बोदनराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

.......प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री हरप्रीत यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 107, 108, 311, 301, 302, 312, 313,830, 831, 835,832, 833, 834, 591, 592, 595 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर "ईश्वर पुत्र बोदन" व खसरा नम्बर हाल 45, 45/900, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56/938, 57 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर "लालराम पुत्र बोदन" दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " लालाराम पुत्र बोदनराम " दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खसरा नम्बर 44, 125, 121, 123, 124, 139 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर " लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार " दर्ज किया हुआ है, उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 कायसा खातेदार " दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खातेदारी हिस्सा बदस्तूर रखा जावे तथा खसरा नम्बर 175, 176, 179 के हाल राजस्व जमाबन्दी मे जहां पर " लालाराम पुत्र बोदनराम जाति राजपूत सा0 देह खातेदार" दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " लालाराम पुत्र बोदनराम जाति अहीर सा0 कायसा खातेदार " दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा खातेदारी हिस्सा बदस्तूर रखा जावे एवं इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0